

प्रस्तावित अभिनिर्णय

न्यायालय अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)/भू०अ०,यूपीडा फिरोजाबाद।

1. भूअर्जन वाद सं० :- 14 /2013/अन्तर्गत धारा-26
नवीन भूमि अध्याप्ति अधिनियम 30 सन, 2013
2. ग्राम का नाम/तहसील/परगना/जिला :- जहानाबाद वीरई/षिकोहाबाद/फिरोजाबाद।
3. कुल प्रस्तावित/अर्जित क्षेत्रफल :- 23.6069 है० अथवा 2,36,069 व.मी.
4. बैनामा द्वारा क्रय की गई भूमि का क्षेत्रफल :- 21.3229 है०
अभिनिर्णय हेतु प्रस्तावित रकबा 2.2840 है०
5. अर्जन निकाय का नाम :- उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश
औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीडा लखनऊ।
6. भूमि अध्याप्ति का प्रयोजन :- जनपद फिरोजाबाद की तहसील षिकोहाबाद के
ग्राम जहानाबाद वीरई में आगरा-लखनऊ प्रवेश
नियंत्रित(ग्रीनफील्ड) योजना के निर्माण हेतु
7. विज्ञप्ति धारा-4(1)/16 की सं० व दिनांक :- सं० 1121/अ०जि०भू०अ०/आगरा दिनांक 7.10.2013
 - (1) गजट प्रकाशन का दिनांक :- 19.10.2013
 - (2) दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन
 - (i) दैनिक हिन्दुस्तान :- 25.10.2013
 - (ii) दैनिक जागरण :- 25.10.2013
 - (iii) सूचना आम(इस्तहार) दिनांक :- 01.11.2013
8. विज्ञप्ति धारा-6(1)/16 की सं० व दिनांक :- सं० 1909/77- 3-14-395(एम)/14 लखनऊ
दिनांक 30.10.2014
 - (1) गजट प्रकाशन का दिनांक :- 30.10.2014
 - (2) दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन
 - (i) दैनिक अमर उजाला :- 15.12.2014
 - (ii) दैनिक हिन्दुस्तान :- 15.12.2014
 - (iii) सूचना आम(इस्तहार) दिनांक :- 20.01.2015
9. क्या धारा-17 के प्राविधान लागू हैं
लागू है । :- नहीं ।
10. क्या भूमि जमींदारी विनाश क्षेत्र में है । :- हाँ ।
11. धारा-9 की सुनवाई की तिथि :- 13.02.2015
12. कब्जा परिवर्तन का दिनांक :- -
13. अभिनिर्णय (AWARD) घोषित करने
की तिथि :-
14. अभिनिर्णित क्षेत्रफल :- 2.2840 है० अथवा 22,840 व.मी.
15. अभिनिर्णय की धनराशि
 - (क) कृषि दर पर(सर्किल रेट) :- रू० 13 लाख रू० प्र० हैक्टेअर
 - (ख) बाजारू मूल्य :- रू० 29,69,200.00
 - (ग) बाजारू मूल्य गुणित(2) : रू० 59,38,400.00
 - (घ) सम्पत्ति(वृक्ष बोरिंग) आदि की धनराशि :- रू० 1,37,809.00
 - (ङ) 100 प्रति० सौलेशियम की धनराशि :- रू० 29,69,200.00
 - (च) 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर :- रू० नियमानुसार देय है।

योग कालम (ख+ग+घ+ङ) :- रू० 1,20,14,609.00

अभिनिर्णय का औचित्य

अर्जन निकाय उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण(यूपीडा) लखनऊ" द्वारा तहसील-शिकोहाबाद के ग्राम-जहानाबादी वीरई में आगरा लखनऊ प्रवेश नियंत्रित(ग्रीनफील्ड) एक्सप्रेसवे" के निर्माण हेतु 23.6069 हैक्टेअर भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव अपने पत्रसं0 219/यूपीडा/13/192 दिनांक 19.7.2013 के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया था। जॉचोपरान्त प्रस्ताव में नियमानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही करते हुए धारा-4(1)/16 की अधिसूचना सं0 सं0 1121/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 7.10.2013 को जिला कलैक्टर स्तर से जारी की गई, जिसका उ0प्र0 राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 19.10.2013 तथा अधिसूचना को दो स्थानीय समाचारपत्रों "दैनिक जागरण" व " "हिन्दुस्तान" में प्रकाशन दिनांक 25.10.2013 को हुआ जिसकी मॉके पर मुनादी दिनांक 1.11.2013 को कराई गई। तत्पश्चात् धारा-5(क) के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 9.12.2013 नियत की गई। आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् दिनांक 10.12.2013 को आपत्तियों का निस्तारण किया गया।

शासनादेश संख्या-15/एक-13-2014-7क(4)14टीसी लखनऊ दिनांक 14.03.2014 में यह प्राविधानित है कि" जिन प्रकरणों में धारा-4 की अधिसूचना जारी हो गयी है, उनमें 1894 के अधिनियम के अनुसार विहित प्रक्रिया द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही पूरी की जायेगी, किन्तु प्रतिकर का अवधारण नये अधिनियम 2013 की धारा-26 से 30 सपठित (प्रथम अनुसूची) के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा और ऐसे मामलों में पुनर्वासन और पुनर्स्थापना से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 17.8.2010, 3.09.2010 एवं 02.06.2011 द्वारा अनुमन्य लाभ देय होंगे। चूँकि प्रश्नगत प्रकरण में धारा-4 व धारा-5ए की कार्यवाहियाँ वर्ष 2013 में पूर्ण हो चुकी थीं तथा नवीन अधिनियम 2013 जो दिनांक 01.01.2014 से लागू हुआ है, इसलिए उक्त शासनादेश के अनुक्रम में धारा-6(1)/16 की अधिसूचना सं0 1909/77- 3-14-395(एम)/14 लखनऊ दिनांक 30.10.2014 को शासन स्तर से जारी की गई, जिसका उ0प्र0 राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 30.10.2014 को हुआ तथा अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों "अमर उजाला व हिन्दुस्तान" में दिनांक 15.12.2014 को हुआ। इसके अतिरिक्त मॉके पर सार्वजनिक स्थान पर मुनादी दिनांक 20.01.2015 को चस्पा कराई गई।

भूमि अर्जन से प्रभावित काश्तकारों को धारा-9(1)(3) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 27.01.2015 को भेजकर उनकी आपत्तियाँ सुनने हेतु दिनांक 13.02.2015 नियत की गई। नियत दिनांक को अर्जन से प्रभावित काश्तकार उपस्थित हुए और उनके द्वारा लिखित रूप में अपनी आपत्तियाँ दाखिल की गई, किन्तु अपनी माँग के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अर्जन हेतु प्रस्तावित कुल 23.6069 है0 में से 21.3229 है0 भूमि शासनादेश दिनांक 2.9.2013 के तहत सम्बन्धित भूस्वामियों से यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा सीधे क्रय की जा चुकी है। अवशेष रकबा 2.2840 है0 के भूस्वामियों द्वारा अपनी भूमि यूपीडा के पक्ष में विक्रीत नहीं की गयी है, और उनके द्वारा धारा-9 की सुनवाई हेतु पुनः नियत दिनांक 13.02.2015 को लिखित रूप में प्रस्तुत आपत्तियों का विवरण एवं उनकी विवेचना निम्न प्रकार है:-

1- गाटा संख्या 190 की भूमि के सम्बन्ध में श्री दिनेषचन्द्र पुत्र राजवीर, अनूप कुमार, शुभम कुमार, सुमित कुमार पुत्रगण दिनेषचन्द्र नि0 जहानाबाद वीरई तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद।

आपत्तिकर्ताओं द्वारा अपने आपत्ति प्रार्थनापत्र दिनांक 13.02.2015 में जनपद इटावा की तहसील सैंफई में प्रश्नगत योजना के निर्माण हेतु अर्जन से प्रभावित हरदोई, कसोंपुर बैनी, आदि ग्रामों में जिलाधिकारी द्वारा धारा-4 के बाद बढ़ाई गई कथित सर्किल रेटों तथा जनपद फिरोजाबाद के अन्य ग्रामों बलीपुर, फतेहपुर चन्दरई जो परियोजना से प्रभावित नहीं है एवं उरावर हस्तर्फ, परियर, गुढा आदि ग्रामों जो अर्जन से प्रभावित है, में बढ़ाई गई सर्किल रेटों का संदर्भ देते हुए अर्जन से प्रभावित संदर्भित ग्राम जहानाबाद वीरई में भी सर्किल रेट बढ़ाते हुए प्रतिकर की धनराशि का भुगतान 1 करोड़ प्रति हैक्टेअर के 4 गुना दर से किये जाने की माँग की गई है। उक्त के अतिरिक्त धारा-4 व 6 की कार्यवाही को कालातीत बताते हुए तथा सिविल रिट याचिका सं0 7254/2015 सुधीर शर्मा एवं अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार, मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन बताते हुए धारा-9 की कार्यवाही को स्थगित करने की माँग भी गई है, किन्तु अपनी माँग के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूमि जनपद फिरोजाबाद में अधिग्रहीत की जा रही है इसलिए किसी अन्य जनपद के ग्रामों में धारा-4 के बाद बढ़ाये गये सर्किल रेटों के समान इस जनपद/ग्राम में सर्किल रेट बढ़ाकर लागू किया जाना विधि विरुद्ध है एवं धारा-4, 5ए एवं धारा-6 की समस्त भूअर्जन कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम 1894 तथा उसके परिपेक्ष्य में जारी सुसंगत शासनादेशों एवं परिषदादेशों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप समयान्तर्गत/नियमानुसार पूर्ण की गई है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत रिट याचिका सं0 7254/2015 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 9.02.2015 के तहत पूर्ण रूप से निस्तारित करते हुए खारिज किया जा चुका है। अतः साक्ष्य के अभाव में अपत्ति/प्रार्थनापत्र निरस्त कर सम्मलित पत्रावली किया जाता है। भूमि के प्रतिकर का निर्धारण, नवीन भूमि अध्याप्ति अधिनियम सं0 30सन, 2013 एवं उसके परिपेक्ष्य में समय समय पर जारी सुसंगत शासनादेश/परिषदादेशों का पालन करते हुए उचित दर से किया जायेगा तथा अधिग्रहीत भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन नियमानुसार सम्बन्धित विभागों से कराकर मूल्यांकित धनराशि को एवार्ड में सम्मलित कर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

2- गाटा संख्या 194 की भूमि के सम्बन्ध में श्री विनय कुमार, बृजेश कुमार पुत्रगण शिवप्रतापसिंह नि0 जहानाबाद वीरई तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद।

आपत्तिकर्ताओं द्वारा अपने आपत्ति प्रार्थनापत्र दिनांक 13.02.2015 में जनपद इटावा की तहसील सैंफई में प्रश्नगत योजना के निर्माण हेतु अर्जन से प्रभावित हरदोई, कसोंपुर बैनी, आदि ग्रामों में जिलाधिकारी द्वारा धारा-4 के बाद बढ़ाई गई कथित सर्किल रेटों तथा जनपद फिरोजाबाद के अन्य ग्रामों बलीपुर, फतेहपुर चन्द्ररई जो परियोजना से प्रभावित नहीं है, एवं उरावर हस्तर्फ, परियर, गुढ़ा आदि ग्रामों जो अर्जन से प्रभावित है, में बढ़ाई गई सर्किल रेटों का संदर्भ देते हुए अर्जन से प्रभावित संदर्भित ग्राम **जहानाबाद वीरई** में भी सर्किल रेट बढ़ाते हुए प्रतिकर की धनराशि का भुगतान 1 करोड़ प्रति हैक्टेअर के 4 गुना दर से किये जाने की माँग की गई है। उक्त के अतिरिक्त धारा-4 व 6 की कार्यवाही को कालातीत बताते हुए तथा सिविल रिट याचिका सं0 7254/2015 सुधीर शर्मा एवं अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार, मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन बताते हुए धारा-9 की कार्यवाही को स्थगित करने की माँग भी गई है, **किन्तु अपनी माँग के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।** उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूमि जनपद फिरोजाबाद में अधिग्रहीत की जा रही है इसलिए किसी अन्य जनपद के ग्रामों में धारा-4 के बाद बढ़ाये गये सर्किल रेटों के समान इस जनपद/ग्राम में सर्किल रेट बढ़ाकर लागू किया जाना विधि विरुद्ध है एवं धारा-4, 5ए एवं धारा-6 की समस्त भूअर्जन कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम 1894 तथा उसके परिपेक्ष्य में जारी सुसंगत शासनादेशों एवं परिषदादेशों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप समयान्तर्गत/नियमानुसार पूर्ण की गई है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत रिट याचिका सं0 7254/2015 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 9.02.2015 के तहत पूर्ण रूप से निस्तारित करते हुए खारिज किया जा चुका है। **अतः साक्ष्य के अभाव में** अपत्ति/प्रार्थनापत्र निरस्त कर सम्मलित पत्रावली किया जाता है। भूमि के प्रतिकर का निर्धारण, **नवीन भूमि अध्याप्ति अधिनियम सं0 30सन, 2013** एवं उसके परिपेक्ष्य में समय समय पर जारी सुसंगत शासनादेश/परिषदादेशों का पालन करते हुए उचित दर से किया जायेगा तथा अधिग्रहीत भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन नियमानुसार सम्बन्धित विभागों से कराकर मूल्यांकित धनराशि को एवार्ड में सम्मलित कर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

3- गाटा संख्या 190 की भूमि के सम्बन्ध में श्री सुधीर कुमार पुत्र राजवीर नि0 जहानाबाद वीरई तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद।

आपत्तिकर्ता द्वारा अपने आपत्ति प्रार्थनापत्र दिनांक 13.02.2015 में जनपद इटावा की तहसील सैंफई में प्रश्नगत योजना के निर्माण हेतु अर्जन से प्रभावित हरदोई, कसोंपुर बैनी, आदि ग्रामों में जिलाधिकारी द्वारा धारा-4 के बाद बढ़ाई गई कथित सर्किल रेटों तथा जनपद फिरोजाबाद के अन्य ग्रामों बलीपुर, फतेहपुर चन्द्ररई जो परियोजना से प्रभावित नहीं है, एवं उरावर हस्तर्फ, परियर, गुढ़ा आदि ग्रामों जो अर्जन से प्रभावित है, में बढ़ाई गई सर्किल रेटों का संदर्भ देते हुए अर्जन से प्रभावित संदर्भित ग्राम **जहानाबाद वीरई** में भी सर्किल रेट बढ़ाते हुए प्रतिकर की धनराशि का भुगतान 1 करोड़ प्रति हैक्टेअर के 4 गुना दर से किये जाने की माँग की गई है। उक्त के अतिरिक्त धारा-4 व 6 की कार्यवाही को कालातीत बताते हुए तथा सिविल रिट याचिका सं0 7254/2015 सुधीर शर्मा एवं अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार, मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन बताते हुए धारा-9 की कार्यवाही को स्थगित करने की माँग भी गई है, **किन्तु अपनी माँग के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।** उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूमि जनपद फिरोजाबाद में अधिग्रहीत की जा रही है इसलिए किसी अन्य जनपद के ग्रामों में धारा-4 के बाद बढ़ाये गये सर्किल रेटों के समान इस जनपद/ग्राम में सर्किल रेट बढ़ाकर लागू किया जाना विधि विरुद्ध है एवं धारा-4, 5ए एवं धारा-6 की समस्त भूअर्जन कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम 1894 तथा उसके परिपेक्ष्य में जारी सुसंगत शासनादेशों एवं परिषदादेशों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप समयान्तर्गत/नियमानुसार पूर्ण की गई है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत रिट याचिका सं0 7254/2015 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 9.02.2015 के तहत पूर्ण रूप से निस्तारित करते हुए खारिज किया जा चुका है। **अतः साक्ष्य के अभाव में** अपत्ति/प्रार्थनापत्र निरस्त कर सम्मलित पत्रावली किया जाता है। भूमि के प्रतिकर का निर्धारण, **नवीन भूमि अध्याप्ति अधिनियम सं0 30सन, 2013** एवं उसके परिपेक्ष्य में समय समय पर जारी सुसंगत शासनादेश/परिषदादेशों का पालन करते हुए उचित दर से किया जायेगा तथा अधिग्रहीत भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन नियमानुसार सम्बन्धित विभागों से कराकर मूल्यांकित धनराशि को एवार्ड में सम्मलित कर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

अर्जन हेतु प्रस्तावित कुल 23.6069 है0 में से **21.3229 है0** भूमि शासनादेश दिनांक 2.9.2013 के तहत सम्बन्धित भूस्वामियों से यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा सीधे क्रय की जा चुकी है, जिनका भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करते हुए भूमि पर कब्जा/दखल प्राप्त किया जा चुका है एवं भूमि राजस्व अभिलेखों में यूपीडा के नाम दर्ज कागजात कराई जा चुकी है। अवशेष **2.2840 है0** भूमि के काश्तकारों द्वारा यूपीडा के पक्ष में बैनामा न किये जाने के कारण धारा-26 के अन्तर्गत एवार्ड हेतु प्रस्तावित है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	अधिसूचित खसरा सं०	कुल अर्जित रकबा(हे०में)	शासनादेश दिनांक 2.9.2013 के तहत यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा क्रय की जा चुकी भूमि रकबा (हे०में०)	धारा-26 के तहत एवार्ड हेतु अवशेष रकबा (हे०में०)
1	2	3	4	5
1	165	0.0500	0.0500	0.00
2	166	0.8790	0.8790	0.00
3	171	0.8390	0.8390	0.00
4	173	0.9450	0.9450	0.00
5	176	0.1150	0.1150	0.00
6	188	0.0240	0.0240	0.00
7	190	2.0000	1.1250	0.8750
8	192	0.0730	0.0730	0.00
9	193	1.9540	1.9540	0.00
10	194	1.1087	0	1.1087
11	196	0.8490	0.5553	0.2937
12	201	0.0360	0.0360	0.00
13	329	0.1500	0.1500	0.00
14	331	0.7790	0.7790	0.00
15	334	1.1100	1.1100	0.00
16	335	0.4400	0.4400	0.00
17	362	0.6700	0.6700	0.00
18	365	0.7553	0.7553	0.00
19	367	0.1800	0.1800	0.00
20	369	0.2200	0.2200	0.00
21	396	0.7561	0.7495	0.0066
22	400	1.9454	1.9454	0.00
23	421	2.2806	2.2806	0.00
24	426	1.2772	1.2772	0.00
25	427	0.2200	0.2200	0.00
26	468	0.3359	0.3359	0.00
27	470	0.0300	0.0300	0.00
28	477	0.0600	0.0600	0.00
29	478	0.2620	0.2620	0.00
30	479	0.6480	0.6480	0.00
31	480	0.8120	0.8120	0.00
32	481	0.3490	0.3490	0.00
33	482	0.0140	0.0140	0.00
34	483	0.0380	0.0380	0.00
35	484	0.0650	0.0650	0.00
36	486	0.0610	0.0610	0.00
37	487	0.0280	0.0280	0.00
38	488	0.0230	0.0230	0.00
39	489	0.0280	0.0280	0.00
40	496	0.0400	0.0400	0.00
41	504	0.0100	0.0100	0.00
42	506	0.6830	0.6830	0.00
43	508	0.1900	0.1900	0.00
44	524	0.2737	0.2737	0.00
	कुल 44 कित्ता	23.6069	21.3229	2.2840

भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-26 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण या अवधारण करने में कलैक्टर, निम्नलिखित मापदण्ड आपनाएगा,

अर्थात:-

- (क) उस क्षेत्र में, जहाँ भूमि स्थित है, यथास्थिति, विक्रय विलेख या विक्रय के करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899(1899 का 2) में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य, यदि कोई हो; या
- (ख) निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत; या
- (ग) प्राइवेट कम्पनियों के लिए या पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी परियोजना के लिए भूमि के अर्जन के मामले में धारा-2 की उपधारा(2) के अधीन करार पाए गए प्रतिकर की सम्मत रकम, जो भी अधिक हो

स्पष्टीकरण 1-खण्ड(ख) में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत, उस वर्ष के, जिसमें भूमि का ऐसा अर्जन

किया जाना प्रस्तावित है, ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती सामीप्य क्षेत्र में उसी प्रकार के क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख या विक्रय के करार को ध्यान में रख कर, अवधारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण 2- स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत को अवधारित करने के लिए, ऐसे विक्रय विलेखों या विक्रय करारों की, **जिनमें अधिकतम विक्रय कीमत उल्लिखित है, की कुल संख्या के आधे को विचार में लिया जाएगा।**

स्पष्टीकरण 3- इस धारा के अधीन बाजार मूल्य का तथा स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करते समय जिले में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अर्जित भूमि के लिए **किसी पूर्ववर्ती अवसर पर प्रतिकर के रूप में संदत्त किसी कीमत को विचार में नहीं लिया जाएगा।**

स्पष्टीकरण 4- इस धारा के अधीन बाजार मूल्य का तथा स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करते समय ऐसी किसी संदत्त कीमत को, जो कलैक्टर की राय में वस्तुतः विद्यमान बाजार मूल्य प्रतीत नहीं होती है, **बाजार मूल्य की गणना करने के प्रयोजनों के लिए कम किया जा सकेगा।**

(2) उपधारा (1) के अनुसार संगणित बाजार मूल्य को पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कारक से गुणा किया जायेगा, किन्तु शासनादेश संख्या 797/एक-13-2014-5क(25)/2013टी0सी0 लखनऊ दिनांक 22 अक्टूबर 2014 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अर्जित की जाने वाली किसी भूमि की दशा में, शहरी क्षेत्र से परियोजना की किसी भी दूरी के होते हुए भी 2.00(दो) को उस कारक से गुणित किया जाना है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि आगरा लखनऊ प्रवेश नियंत्रित(ग्रीनफील्ड) परियोजना के निर्माण हेतु अर्जित भूमि के अभिनिर्णय घोषित करने के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण(यूपीडा) लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या 2022/यूपीडा-15/192(08)धारा-6 दिनांक 10 फरवरी, 2015 के माध्यम से अर्जन निकाय/यूपीडा का पक्ष/अभिमत प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नवत है:-

1- भूमि के बाजार मूल्य की गणना की व्यवस्था अधिनियम की धारा-26(क),(ख) एवं (ग) के अन्तर्गत प्रदत्त है। इनमें से धारा-26(ग) निजी कम्पनियों या पब्लिक प्राइवेट सहभागिता वाली परियोजनाओं के लिए लागू है, जो कि वर्तमान परियोजना में लागू नहीं होता है।

अतः आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के ई0पी0सी0 माध्यम से संचालित होने के कारण परियोजना से सम्बन्धित भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए उक्त में से धारा-26(क) या (ख) के नियमानुसार की जाए।

2- धारा-26 में उल्लिखित है कि बाजार मूल्य का मूल्यांकन धारा-11 की अधिसूचना की तिथि को आधार मानते हुए की जाए। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अनुसार की जा रही है। अतः उचित होगा कि परियोजना हेतु प्रतिकर के बाजार मूल्य का मूल्यांकन भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की अधिसूचना की तिथि को आधार मानते हुए की जाए।

3- नवीन अधिनियम की धारा'30(3) में निर्दिष्ट है कि धारा-26 के अन्तर्गत बाजार मूल्य के अतिरिक्त बाजार मूल्य के 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ऐसी धनराशि भी प्रदान की जायेगी, जिसकी गणना धारा-4(2) में प्रदत्त सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की अधिसूचना की तिथि से एवार्ड घोषित किये जाने की तिथि तक की अवधि हेतु किया जायेगा।

अर्जित की जा रही भूमि का प्रतिकर निर्धारण करने हेतु प्रस्तावित ग्राम में विज्ञप्ति धारा-4(1)/16 की अंतिम प्रकाशन दिनांक 07.11.2013 से भूमि अध्याप्ति मैनुअल के अध्याय-5 के प्रस्तर 93 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप तीन वर्ष पूर्व में निष्पादित बैनामों का संकलन सब रजिस्टार शिकोहाबाद से कराया गया। नियत अवधि में कुल 36 विक्रय विलेखा निष्पादित हुए पाये गये हैं, जिनका विवरण अनुसूची-2 के क्रमांक 1 से 36 पर अंकित किया गया है तथा उसका सत्यापन सब रजिस्टार शिकोहाबाद द्वारा किया गया है। निष्पादित कुल विक्रयपत्रों में से उच्चतम दर के 50 प्रतिशत विक्रयपत्रों की औसतन दर निकाली गई, जिसके अनुसार औसतन दर रु0 9,58,128.00प्र0है0 अर्थात् 95.81 पैसे प्र0व0मी0 आती है। जबकि धारा-4 की अधिसूचना निर्गत होने के दिनांक 7.10.2013 के तहत ग्राम में जिलाधिकारी द्वारा जारी कृषि भूमि की सर्किल रेट 13 लाख रु0प्र0है0 अर्थात् 130/रु0प्र0व0मी0 थी। इस प्रकार इनका तुलनात्मक अध्ययन करने पर पाया गया कि जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट रु0 13.00लाख प्र0है0 अर्थात् 130/रु0प्र0व0मी0 सबसे उच्चतम दर है, जो ग्राम में प्रचलित बाजारू दर की द्योतक प्रतीत होती है, क्योंकि इस दर 13लाख रु0 प्र0 है0 की 4 गुना 52 लाख रु0 प्र0 है0 की दर पर ही आपसी सहमति के आधार पर ग्राम में कुल अर्जित 23.6069है0 भूमि में से रकबा 21.3229है0 (90.32 प्रतिशत) भूमि के भूस्वामियों द्वारा यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा, अपनी भूमि विक्रीत की जा चुकी है। इसलिए नवीन अधिनियम 2013 की धारा-26(क),(ख) एवं उसके परिपेक्ष्य में जारी सुसंगत शासनादेशों एवं परिषदादेशों एवं अर्जन निकाय/यूपीडा द्वारा प्रस्तुत अभिमत के अनुरूप ग्राम जहानाबाद वीरई में अर्जित अवशेष भूमि 2.2840है0 हेतु धारा-4 के समय जारी सर्किल रेट रु0 13 लाख/प्र0है0 को बाजारू दर के रूप में प्रतिकर निर्धारण हेतु चयनित करता हूँ।

चयनित दर 13 लाख रु0 प्र0है0 की दर से अवशेष अर्जित भूमि 2.2840 हैक्टेअर के प्रतिकर की धनराशि का विवरण निम्नप्रकार है:-

एवार्ड की गई धनराशि का विवरण:-

(1)	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	: 2.2840 है0
(2)	अर्जित भूमि के प्रतिकर की दर	: 13 लाख रु0 प्र0 है0
(3)	अर्जित भूमि के प्रतिकर की धनराशि,(बजारू मूल्य) कालम(2 X 1):	29,69,200.00
(4)	बाजारू मूल्य कॉलम-4 गुणित 2(दो)	: 59,38,400.00
(5)	अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन की धनराशि :	1,37,809.00
(6)	100 प्रतिशत सोलेशियम की धनराशि कालम 3 पर	: 29,69,200.00

योग कालमसं0 3+4+5+6

: 1,20,14,609.00

अर्जन के समय ग्राम जहानाबाद वीरई के खसरासं0 190 पर 2आम, 1नीम, 1समरसेबिल, खसरा सं0 194 पर 2 नलकूप, खसरासं0 396 पर 3आम, 1बबूल व 1बेल, परिसम्पत्तियाँ स्थित पाई गई, जिनका नियमानुसार सम्बन्धित विभागों से मूल्यांकन कराकर कुल मूल्यांकित धनराशि उपरोक्त अभिनिर्णित धनराशि में सम्मिलित कर ली गई है।

(7)12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि :- उक्त बाजारू मूल्य की धनराशि पर नियमानुसार अतिरिक्त धनराशि और देय होगी।

(8)पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन के लाभ :- शासनादेश दिनांक 17.8.2010, 3.9.2010 एवं 02.06.2011 के तहत अनुमन्य अतिरिक्त लाभ दिये जायेंगे।

(9)ब्याज की धनराशि :- नियमानुसार ब्याज देय नहीं है, क्योंकि भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है।

(10)भूमि अध्याप्ति व्यय:- एवार्ड की गई धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि नियमानुसार अर्जन निकाय से वसूल कर भूअर्जन व्यय के रूप में लेखाशीर्षक 0029 भूराजस्व में नियमानुसार जमा किया जायेगा।

(11)पूँजीकृत मूल्य :- लगान की 150 गुना धनराशि पूँजीकृत मूल्य के रूप में अर्जन निकाय से वसूल कर सम्बन्धित लेखाशीर्षक 0029 भूराजस्व में जमा कराई जायेगी।

शासनादेशसं0272/1-13-2010-7-4(9)/86-114 दिनांक 21.4.2010 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार 10 करोड़ तक की धनराशि के अभिनिर्णय की जाँच एवं पूर्वानुमोदन जिलाधिकारी द्वारा तथा 10 करोड़ से अधिक की धनराशि के अभिनिर्णय की जाँच एवं पूर्वानुमोदन आयुक्त महोदय के स्तर से किया जाना अपेक्षित होता है। प्रश्नगत ग्राम जहानाबाद वीरई की अभिनिर्णित धनराशि रु0 1,20,14,609.00 दस करोड़ से कम है।

(कर्मन्द्रसिंह)

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
अपर जिलाधिकारी(भू0अ0)यूपीडा
फिरोजाबाद।

जिलाधिकारी फिरोजाबाद के अनुमोदन दिनांकके अनुक्रम में आज दिनांक.....को ग्राम जहानाबाद वीरई का एवार्ड घोषित कर सम्मिलित पत्रावली किया जाता है।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
अपर जिलाधिकारी(भू0अ0)यूपीडा
फिरोजाबाद।

अर्जन निकाय उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण(यूपीडा) लखनऊ" द्वारा तहसील-शिकोहाबाद के ग्राम-जहानाबादी वीरई में आगरा लखनऊ प्रवेश नियंत्रित(ग्रीनफील्ड) एक्सप्रेसवे" के निर्माण हेतु 23.6069 हैक्टेअर भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव अपने पत्रसं० 219/यूपीडा/13/192 दिनांक 19.7.2013 के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया था। जॉचोपरान्त प्रस्ताव में नियमानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही करते हुए धारा-4(1)/16 की अधिसूचना सं० सं० 1121/अ०जि०भू०अ०/आगरा दिनांक 7.10.2013 को जिला कलेक्टर स्तर से जारी की गई, जिसका उ०प्र० राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 19.10.2013 तथा अधिसूचना को दो स्थानीय समाचारपत्रों "दैनिक जागरण" व " "हिन्दुस्तान" में प्रकाशन दिनांक 25.10.2013 को हुआ जिसकी मॉके पर मुनादी दिनांक 1.11.2013 को कराई गई। तत्पश्चात् धारा-5(क) के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 9.12.2013 नियत की गई। आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् दिनांक 10.12.2013 को आपत्तियों का निस्तारण किया गया।

शासनादेश संख्या-15/एक-13-2014-7क(4)14टीसी लखनऊ दिनांक 14.03.2014 में यह प्राविधानित है कि" जिन प्रकरणों में धारा-4 की अधिसूचना जारी हो गयी है, उनमें 1894 के अधिनियम के अनुसार विहित प्रक्रिया द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही पूरी की जायेगी, किन्तु प्रतिकर का अवधारण नये अधिनियम 2013 की धारा-26 से 30 सपठित (प्रथम अनुसूची) के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा और ऐसे मामलों में पुनर्वासन और पुनर्स्थापना से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 17.8.2010, 3.09.2010 एवं 02.06.2011 द्वारा अनुमन्य लाभ देय होंगे। चूँकि प्रश्नगत प्रकरण में धारा-4 व धारा-5ए की कार्यवाहियाँ वर्ष 2013 में पूर्ण हो चुकी थीं तथा नवीन अधिनियम 2013 जो दिनांक 01.01.2014 से लागू हुआ है, इसलिए उक्त शासनादेश के अनुक्रम में धारा-6(1)/16 की अधिसूचना सं० 1909/77-3-14-395(एम)/14 लखनऊ दिनांक 30.10.2014 को शासन स्तर से जारी की गई, जिसका उ०प्र० राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 30.10.2014 को हुआ तथा अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों "अमर उजाला व हिन्दुस्तान" में दिनांक 15.12.2014 को हुआ। इसके अतिरिक्त मॉके पर सार्वजनिक स्थान पर मुनादी दिनांक 20.01.2015 को चस्पा कराई गई।

भूमि अर्जन से प्रभावित काश्तकारों को धारा-9(1)(3) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 27.01.2015 को भेजकर उनकी आपत्तियाँ सुनने हेतु दिनांक 13.02.2015 नियत की गई। नियत दिनांक को अर्जन से प्रभावित काश्तकार उपस्थित हुए और उनके द्वारा लिखित रूप में अपनी आपत्तियाँ दाखिल की गई, किन्तु अपनी माँग के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अर्जन हेतु प्रस्तावित कुल 23.6069 है० में से 21.3229 है० भूमि शासनादेश दिनांक 2.9.2013 के तहत सम्बन्धित भूस्वामियों से यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा सीधे क्रय की जा चुकी है। अवशेष रकबा 2.2840 है० के भूस्वामियों द्वारा अपनी भूमि यूपीडा के पक्ष में विक्रीत नहीं की गयी है, और उनके द्वारा धारा-9 की सुनवाई हेतु पुनः नियत दिनांक 13.02.2015 को लिखित रूप में प्रस्तुत आपत्तियों का विवरण एवं उनकी विवेचना निम्न प्रकार है:-

1- गाटा संख्या 190 की भूमि के सम्बन्ध में श्री दिनेषचन्द्र पुत्र राजवीर, अनूप कुमार, शुभम कुमार, सुमित कुमार पुत्रगण दिनेषचन्द्र नि० जहानाबाद वीरई तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद।

आपत्तिकर्ताओं द्वारा अपने आपत्ति प्रार्थनापत्र दिनांक 13.02.2015 में जनपद इटावा की तहसील सैंफई में प्रश्नगत योजना के निर्माण हेतु अर्जन से प्रभावित हरदोई, कसोंपुर बैनी, आदि ग्रामों में जिलाधिकारी द्वारा धारा-4 के बाद बढ़ाई गई कथित सर्किल रेटों तथा जनपद फिरोजाबाद के अन्य ग्रामों बलीपुर, फतेहपुर चन्द्ररई जो परियोजना से प्रभावित नहीं है एवं उरावर हस्तर्फ, परियर, गुढा आदि ग्रामों जो अर्जन से प्रभावित है, में बढ़ाई गई सर्किल रेटों का संदर्भ देते हुए अर्जन से प्रभावित संदर्भित ग्राम जहानाबाद वीरई में भी सर्किल रेट बढ़ाते हुए प्रतिकर की धनराशि का भुगतान 1 करोड़ प्रति हैक्टेअर के 4 गुना दर से किये जाने की माँग की गई है। उक्त के अतिरिक्त धारा-4 व 6 की कार्यवाही को कालातीत बताते हुए तथा सिविल रिट याचिका सं० 7254/2015 सुधीर शर्मा एवं अन्य बनाम उ०प्र० सरकार, मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन बताते हुए धारा-9 की कार्यवाही को स्थगित करने की माँग भी गई है, किन्तु अपनी माँग के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूमि जनपद फिरोजाबाद में अधिग्रहीत की जा रही है इसलिए किसी अन्य जनपद के ग्रामों में धारा-4 के बाद बढ़ाये गये सर्किल रेटों के समान इस जनपद/ग्राम में सर्किल रेट बढ़ाकर लागू किया जाना विधि विरुद्ध है एवं धारा-4, 5ए एवं धारा-6 की समस्त भूअर्जन कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम 1894 तथा उसके परिपेक्ष्य में जारी सुसंगत शासनादेशों एवं परिषदादेशों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप समयान्तर्गत/नियमानुसार पूर्ण की गई है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत रिट याचिका सं० 7254/2015 को मा० उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 9.02.2015 के तहत पूर्ण रूप से निस्तारित करते हुए खारिज किया जा चुका है। अतः साक्ष्य के अभाव में अपत्ति/प्रार्थनापत्र निरस्त कर सम्मलित पत्रावली किया जाता है। भूमि के प्रतिकर का निर्धारण, नवीन भूमि अध्याप्ति अधिनियम सं० 30सन, 2013 एवं उसके परिपेक्ष्य में समय समय पर जारी सुसंगत शासनादेश/परिषदादेशों का पालन करते हुए उचित दर से किया जायेगा तथा अधिग्रहीत भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन नियमानुसार सम्बन्धित विभागों से कराकर मूल्यांकित धनराशि को एवार्ड में सम्मलित कर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

2- गाटा संख्या 194 की भूमि के सम्बन्ध में श्री विनय कुमार, बृजेश कुमार पुत्रगण शिवप्रतापसिंह नि0 जहानाबाद वीरई तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद।

आपत्तिकर्ताओं द्वारा अपने आपत्ति प्रार्थनापत्र दिनांक 13.02.2015 में जनपद इटावा की तहसील सैंफई में प्रश्नगत योजना के निर्माण हेतु अर्जन से प्रभावित हरदोई, कसोंपुर बैनी, आदि ग्रामों में जिलाधिकारी द्वारा धारा-4 के बाद बढ़ाई गई कथित सर्किल रेटों तथा जनपद फिरोजाबाद के अन्य ग्रामों बलीपुर, फतेहपुर चन्दरई जो परियोजना से प्रभावित नहीं है, एवं उरावर हस्तर्फ, परियर, गुढा आदि ग्रामों जो अर्जन से प्रभावित है, में बढ़ाई गई सर्किल रेटों का संदर्भ देते हुए अर्जन से प्रभावित संदर्भित ग्राम **जहानाबाद वीरई** में भी सर्किल रेट बढ़ाते हुए प्रतिकर की धनराशि का भुगतान 1 करोड़ प्रति हैक्टेअर के 4 गुना दर से किये जाने की माँग की गई है। उक्त के अतिरिक्त धारा-4 व 6 की कार्यवाही को कालातीत बताते हुए तथा सिविल रिट याचिका सं0 7254/2015 सुधीर शर्मा एवं अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार, मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन बताते हुए धारा-9 की कार्यवाही को स्थगित करने की माँग भी गई है, **किन्तु अपनी माँग के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।** उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूमि जनपद फिरोजाबाद में अधिग्रहीत की जा रही है इसलिए किसी अन्य जनपद के ग्रामों में धारा-4 के बाद बढ़ाये गये सर्किल रेटों के समान इस जनपद/ग्राम में सर्किल रेट बढ़ाकर लागू किया जाना विधि विरुद्ध है एवं धारा-4, 5ए एवं धारा-6 की समस्त भूअर्जन कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम 1894 तथा उसके परिपेक्ष्य में जारी सुसंगत शासनादेशों एवं परिषदादेशों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप समयान्तर्गत/नियमानुसार पूर्ण की गई है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत रिट याचिका सं0 7254/2015 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 9.02.2015 के तहत पूर्ण रूप से निस्तारित करते हुए खारिज किया जा चुका है। **अतः साक्ष्य के अभाव में** अपत्ति/प्रार्थनापत्र निरस्त कर सम्मलित पत्रावली किया जाता है। भूमि के प्रतिकर का निर्धारण, **नवीन भूमि अध्याप्ति अधिनियम सं0 30सन, 2013** एवं उसके परिपेक्ष्य में समय समय पर जारी सुसंगत शासनादेश/परिषदादेशों का पालन करते हुए उचित दर से किया जायेगा तथा अधिग्रहीत भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन नियमानुसार सम्बन्धित विभागों से कराकर मूल्यांकित धनराशि को एवार्ड में सम्मलित कर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

3- गाटा संख्या 190 की भूमि के सम्बन्ध में श्री सुधीर कुमार पुत्र राजवीर नि0 जहानाबाद वीरई तहसील शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद।

आपत्तिकर्ता द्वारा अपने आपत्ति प्रार्थनापत्र दिनांक 13.02.2015 में जनपद इटावा की तहसील सैंफई में प्रश्नगत योजना के निर्माण हेतु अर्जन से प्रभावित हरदोई, कसोंपुर बैनी, आदि ग्रामों में जिलाधिकारी द्वारा धारा-4 के बाद बढ़ाई गई कथित सर्किल रेटों तथा जनपद फिरोजाबाद के अन्य ग्रामों बलीपुर, फतेहपुर चन्दरई जो परियोजना से प्रभावित नहीं है, एवं उरावर हस्तर्फ, परियर, गुढा आदि ग्रामों जो अर्जन से प्रभावित है, में बढ़ाई गई सर्किल रेटों का संदर्भ देते हुए अर्जन से प्रभावित संदर्भित ग्राम **जहानाबाद वीरई** में भी सर्किल रेट बढ़ाते हुए प्रतिकर की धनराशि का भुगतान 1 करोड़ प्रति हैक्टेअर के 4 गुना दर से किये जाने की माँग की गई है। उक्त के अतिरिक्त धारा-4 व 6 की कार्यवाही को कालातीत बताते हुए तथा सिविल रिट याचिका सं0 7254/2015 सुधीर शर्मा एवं अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार, मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन बताते हुए धारा-9 की कार्यवाही को स्थगित करने की माँग भी गई है, **किन्तु अपनी माँग के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।** उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूमि जनपद फिरोजाबाद में अधिग्रहीत की जा रही है इसलिए किसी अन्य जनपद के ग्रामों में धारा-4 के बाद बढ़ाये गये सर्किल रेटों के समान इस जनपद/ग्राम में सर्किल रेट बढ़ाकर लागू किया जाना विधि विरुद्ध है एवं धारा-4, 5ए एवं धारा-6 की समस्त भूअर्जन कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम 1894 तथा उसके परिपेक्ष्य में जारी सुसंगत शासनादेशों एवं परिषदादेशों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप समयान्तर्गत/नियमानुसार पूर्ण की गई है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत रिट याचिका सं0 7254/2015 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 9.02.2015 के तहत पूर्ण रूप से निस्तारित करते हुए खारिज किया जा चुका है। **अतः साक्ष्य के अभाव में** अपत्ति/प्रार्थनापत्र निरस्त कर सम्मलित पत्रावली किया जाता है। भूमि के प्रतिकर का निर्धारण, **नवीन भूमि अध्याप्ति अधिनियम सं0 30सन, 2013** एवं उसके परिपेक्ष्य में समय समय पर जारी सुसंगत शासनादेश/परिषदादेशों का पालन करते हुए उचित दर से किया जायेगा तथा अधिग्रहीत भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन नियमानुसार सम्बन्धित विभागों से कराकर मूल्यांकित धनराशि को एवार्ड में सम्मलित कर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

अर्जन हेतु प्रस्तावित कुल 23.6069 है0 में से **21.3229 है0** भूमि शासनादेश दिनांक 2.9.2013 के तहत सम्बन्धित भूस्वामियों से यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा सीधे क्रय की जा चुकी है, जिनका भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करते हुए भूमि पर कब्जा/दखल प्राप्त किया जा चुका है एवं भूमि राजस्व अभिलेखों में यूपीडा के नाम दर्ज कागजात कराई जा चुकी है। अवशेष **2.2840 है0** भूमि के काश्तकारों द्वारा यूपीडा के पक्ष में बैनामा न किये जाने के कारण धारा-26 के अन्तर्गत एवार्ड हेतु प्रस्तावित है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रमशः...3

क्र० सं०	अधिसूचित खसरा सं०	कुल अर्जित रकबा(हे०में)	शासनादेश दिनांक 2.9.2013 के तहत यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा क्रय की जा चुकी भूमि रकबा (हे०में०)	धारा-26 के तहत एवार्ड हेतु अवशेष रकबा (हे०में०)
1	2	3	4	5
1	165	0.0500	0.0500	0.00
2	166	0.8790	0.8790	0.00
3	171	0.8390	0.8390	0.00
4	173	0.9450	0.9450	0.00
5	176	0.1150	0.1150	0.00
6	188	0.0240	0.0240	0.00
7	190	2.0000	1.1250	0.8750
8	192	0.0730	0.0730	0.00
9	193	1.9540	1.9540	0.00
10	194	1.1087	0	1.1087
11	196	0.8490	0.5553	0.2937
12	201	0.0360	0.0360	0.00
13	329	0.1500	0.1500	0.00
14	331	0.7790	0.7790	0.00
15	334	1.1100	1.1100	0.00
16	335	0.4400	0.4400	0.00
17	362	0.6700	0.6700	0.00
18	365	0.7553	0.7553	0.00
19	367	0.1800	0.1800	0.00
20	369	0.2200	0.2200	0.00
21	396	0.7561	0.7495	0.0066
22	400	1.9454	1.9454	0.00
23	421	2.2806	2.2806	0.00
24	426	1.2772	1.2772	0.00
25	427	0.2200	0.2200	0.00
26	468	0.3359	0.3359	0.00
27	470	0.0300	0.0300	0.00
28	477	0.0600	0.0600	0.00
29	478	0.2620	0.2620	0.00
30	479	0.6480	0.6480	0.00
31	480	0.8120	0.8120	0.00
32	481	0.3490	0.3490	0.00
33	482	0.0140	0.0140	0.00
34	483	0.0380	0.0380	0.00
35	484	0.0650	0.0650	0.00
36	486	0.0610	0.0610	0.00
37	487	0.0280	0.0280	0.00
38	488	0.0230	0.0230	0.00
39	489	0.0280	0.0280	0.00
40	496	0.0400	0.0400	0.00
41	504	0.0100	0.0100	0.00
42	506	0.6830	0.6830	0.00
43	508	0.1900	0.1900	0.00
44	524	0.2737	0.2737	0.00
	कुल 44 कित्ता	23.6069	21.3229	2.2840

भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-26 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण या अवधारण करने में कलैक्टर, निम्नलिखित मापदण्ड आपनाएगा,

अर्थात:-

- (क) उस क्षेत्र में, जहाँ भूमि स्थित है, यथास्थिति, विक्रय विलेख या विक्रय के करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899(1899 का 2) में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य, यदि कोई हो; या
- (ख) निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत; या
- (ग) प्राइवेट कम्पनियों के लिए या पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी परियोजना के लिए भूमि के अर्जन के मामले में धारा-2 की उपधारा(2) के अधीन करार पाए गए प्रतिकर की सम्मत रकम, **जो भी अधिक हो**

स्पष्टीकरण 1-खण्ड(ख) में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत, उस वर्ष के, जिसमें भूमि का ऐसा अर्जन

किया जाना प्रस्तावित है, ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती सामीप्य क्षेत्र में उसी प्रकार के क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख या विक्रय के करार को ध्यान में रख कर, अवधारित की जाएगी।

स्पष्टीकरण 2- स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत को अवधारित करने के लिए, ऐसे विक्रय विलेखों या विक्रय करारों की, **जिनमें अधिकतम विक्रय कीमत उल्लिखित है, की कुल संख्या के आधे को विचार में लिया जाएगा।**

स्पष्टीकरण 3- इस धारा के अधीन बाजार मूल्य का तथा स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करते समय जिले में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अर्जित भूमि के लिए **किसी पूर्ववर्ती अवसर पर प्रतिकर के रूप में संदत्त किसी कीमत को विचार में नहीं लिया जाएगा।**

स्पष्टीकरण 4- इस धारा के अधीन बाजार मूल्य का तथा स्पष्टीकरण 1 या स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत का अवधारण करते समय ऐसी किसी संदत्त कीमत को, जो कलैक्टर की राय में वस्तुतः विद्यमान बाजार मूल्य प्रतीत नहीं होती है, **बाजार मूल्य की गणना करने के प्रयोजनों के लिए कम किया जा सकेगा।**

(2) उपधारा (1) के अनुसार संगणित बाजार मूल्य को पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कारक से गुणा किया जायेगा, किन्तु शासनादेश संख्या 797/एक-13-2014-5क(25)/2013टी0सी0 लखनऊ दिनांक 22 अक्टूबर 2014 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अर्जित की जाने वाली किसी भूमि की दशा में, शहरी क्षेत्र से परियोजना की किसी भी दूरी के होते हुए भी 2.00(दो) को उस कारक से गुणित किया जाना है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि आगरा लखनऊ प्रवेश नियंत्रित(ग्रीनफील्ड) परियोजना के निर्माण हेतु अर्जित भूमि के अभिनिर्णय घोषित करने के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण(यूपीडा) लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या 2022/यूपीडा-15/192(08)धारा-6 दिनांक 10 फरवरी, 2015 के माध्यम से अर्जन निकाय/यूपीडा का पक्ष/अभिमत प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नवत है:-

1- भूमि के बाजार मूल्य की गणना की व्यवस्था अधिनियम की धारा-26(क),(ख) एवं (ग) के अन्तर्गत प्रदत्त है। इनमें से धारा-26(ग) निजी कम्पनियों या पब्लिक प्राइवेट सहभागिता वाली परियोजनाओं के लिए लागू है, जो कि वर्तमान परियोजना में लागू नहीं होता है।

अतः आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के ई0पी0सी0 माध्यम से संचालित होने के कारण परियोजना से सम्बन्धित भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए उक्त में से धारा-26(क) या (ख) के नियमानुसार की जाए।

2- धारा-26 में उल्लिखित है कि बाजार मूल्य का मूल्यांकन धारा-11 की अधिसूचना की तिथि को आधार मानते हुए की जाए। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अनुसार की जा रही है। अतः उचित होगा कि परियोजना हेतु प्रतिकर के बाजार मूल्य का मूल्यांकन भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 की अधिसूचना की तिथि को आधार मानते हुए की जाए।

3- नवीन अधिनियम की धारा'30(3) में निर्दिष्ट है कि धारा-26 के अन्तर्गत बाजार मूल्य के अतिरिक्त बाजार मूल्य के 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ऐसी धनराशि भी प्रदान की जायेगी, जिसकी गणना धारा-4(2) में प्रदत्त सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की अधिसूचना की तिथि से एवार्ड घोषित किये जाने की तिथि तक की अवधि हेतु किया जायेगा।

क्रमशः...5

अर्जित की जा रही भूमि का प्रतिकर निर्धारण करने हेतु प्रस्तावित ग्राम में विज्ञप्ति धारा-4(1)/16 की अंतिम प्रकाशन दिनांक 07.11.2013 से भूमि अध्याप्ति मैनुअल के अध्याय-5 के प्रस्तर 93 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप तीन वर्ष पूर्व में निष्पादित बैनामों का संकलन सब रजिस्टार शिकोहाबाद से कराया गया। नियत अवधि

में कुल 36 विक्रय विलेखा निष्पादित हुए पाये गये हैं, जिनका विवरण अनुसूची-2 के क्रमांक 1 से 36 पर अंकित किया गया है तथा उसका सत्यापन सब रजिस्ट्रार षिकोहाबाद द्वारा किया गया है। निष्पादित कुल विक्रयपत्रों में से उच्चतम दर के 50 प्रतिशत विक्रयपत्रों की औसतन दर निकाली गई, जिसके अनुसार औसतन दर रू0 9,58,128.00 प्र0 है0 अर्थात् 95.81 पैसे प्र0 व0 मी0 आती है। जबकि धारा-4 की अधिसूचना निर्गत होने के दिनांक 7.10.2013 के तहत ग्राम में जिलाधिकारी द्वारा जारी कृषि भूमि की सर्किल रेट 13 लाख रू0 प्र0 है0 अर्थात् 130/रू0 प्र0 व0 मी0 थी। इस प्रकार इनका तुलनात्मक अध्ययन करने पर पाया गया कि जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट रू0 13.00 लाख प्र0 है0 अर्थात् 130/रू0 प्र0 व0 मी0 सबसे उच्चतम दर है, जो ग्राम में प्रचलित बाजारू दर की द्योतक प्रतीत होती है, क्योंकि इस दर 13 लाख रू0 प्र0 है0 की 4 गुना 52 लाख रू0 प्र0 है0 की दर पर ही आपसी सहमति के आधार पर ग्राम में कुल अर्जित 23.6069 है0 भूमि में से रकबा 21.3229 है0 (90.32 प्रतिशत) भूमि के भूस्वामियों द्वारा यूपीडा के पक्ष में द्वारा बैनामा, अपनी भूमि विक्रीत की जा चुकी है। इसलिए नवीन अधिनियम 2013 की धारा-26(क,ख) एवं उसके परिपेक्ष्य में जारी सुसंगत शासनादेशों एवं परिषदादेशों एवं अर्जन निकाय/यूपीडा द्वारा प्रस्तुत अभिमत के अनुरूप ग्राम जहानाबाद वीरई में अर्जित अवशेष भूमि 2.2840 है0 हेतु धारा-4 के समय जारी सर्किल रेट रू0 13 लाख/प्र0 है0 को बाजारू दर के रूप में प्रतिकर निर्धारण हेतु चयनित करता हूँ।

चयनित दर 13 लाख रू0 प्र0 है0 की दर से अवशेष अर्जित भूमि 2.2840 हैक्टेअर के प्रतिकर की धनराशि का विवरण निम्नप्रकार है:-

एवार्ड की गई धनराशि का विवरण:-

(1)	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	: 2.2840 है0
(2)	अर्जित भूमि के प्रतिकर की दर	: 13 लाख रू0 प्र0 है0
(3)	अर्जित भूमि के प्रतिकर की धनराशि, (बाजारू मूल्य) कालम (2 x 1):	29,69,200.00
(4)	बाजारू मूल्य कॉलम-4 गुणित 2(दो)	: 59,38,400.00
(5)	अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन की धनराशि :	1,37,809.00
(6)	100 प्रतिशत सोलेशियम की धनराशि कालम 3 पर	: 29,69,200.00

योग कालम सं0 3+4+5+6

: 1,20,14,609.00

अर्जन के समय ग्राम जहानाबाद वीरई के खसरा सं0 190 पर 2आम, 1नीम, 1समरसेबिल, खसरा सं0 194 पर 2 नलकूप, खसरा सं0 396 पर 3आम, 1बबूल व 1बेल, परिसम्पत्तियाँ स्थित पाई गई, जिनका नियमानुसार सम्बन्धित विभागों से मूल्यांकन कराकर कुल मूल्यांकित धनराशि उपरोक्त अभिनिर्णित धनराशि में सम्मिलित कर ली गई है।

(7) 12 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि :- उक्त बाजारू मूल्य की धनराशि पर नियमानुसार अतिरिक्त धनराशि और देय होगी।

(8) पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन के लाभ :- शासनादेश दिनांक 17.8.2010, 3.9.2010 एवं 02.06.2011 के तहत अनुमन्य अतिरिक्त लाभ दिये जायेंगे।

(9) ब्याज की धनराशि :- नियमानुसार ब्याज देय नहीं है, क्योंकि भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है।

(10) भूमि अध्याप्ति व्यय:- एवार्ड की गई धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि नियमानुसार अर्जन निकाय से वसूल कर भूअर्जन व्यय के रूप में लेखाशीर्षक 0029 भूराजस्व में नियमानुसार जमा किया जायेगा।

(11) पूँजीकृत मूल्य :- लगान की 150 गुना धनराशि पूँजीकृत मूल्य के रूप में अर्जन निकाय से वसूल कर सम्बन्धित लेखाशीर्षक 0029 भूराजस्व में जमा कराई जायेगी।

शासनादेश सं0 0272/1-13-2010-7-4(9)/86-114 दिनांक 21.4.2010 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार 10 करोड़ तक की धनराशि के अभिनिर्णय की जाँच एवं पूर्वानुमोदन जिलाधिकारी द्वारा तथा 10 करोड़ से अधिक की धनराशि के अभिनिर्णय की जाँच एवं पूर्वानुमोदन आयुक्त महोदय के स्तर से किया जाना अपेक्षित होता है। प्रश्नगत ग्राम जहानाबाद वीरई की अभिनिर्णित धनराशि रू0 1,20,14,609.00 दस करोड़ से कम है।

अतः महोदय सहमत हों तो ग्राम जहानाबाद वीरई की अभिनिर्णित धनराशि रू0 1,20,14,609.00 00 पैसे की जाँच एवं पूर्वानुमोदन हेतु जिलाधिकारी महोदय को सुस्तुति करना चाहें।

(अनिल कुमार)
अहलमद

(कर्मन्द्रसिंह)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
अपर जिलाधिकारी(भू0अ0)
यूपीडा, फिरोजाबाद।

